



2026:AHC:129712

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत प्रार्थना पत्र संख्या - 21855/2026

सोनू कुमार वर्मा उर्फ शैलेंद्र वर्मा ..... आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता: देवोत्तम पांडेय

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 69

माननीय न्यायमूर्ति, राजीव लोचन शुक्ला

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया और अभिलेखों का अवलोकन किया गया।
2. यह प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र, मुकदमा अपराध संख्या 50/2026, उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज-विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 2/3(1), के अंतर्गत थाना- उभांव, जिला- बलिया में आवेदक को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक को प्रस्तुत मुकदमे में झूठा फँसाया गया है। गैंगस्टर चार्ट में आवेदक के विरुद्ध दो मुकदमे दिखाए गए हैं और दोनों ही मुकदमे में आवेदक जमानत पर है। आवेदक को किसी भी अपराध में दोषी नहीं ठहराया गया है। गैंगस्टर चार्ट में दिखाए गए इन दो मुकदमे के अलावा आवेदक का कोई अन्य आपराधिक इतिहास नहीं है।
4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत दिए जाने के अनुरोध का विरोध किया है और तर्क दिया है कि उन्हें इस मुकदमे में अभी तक कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं।
5. हालाँकि, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आवेदक मुकदमा अपराध संख्या 253/2025 में 24 सितंबर 2025 से और फिर प्रस्तुत मुकदमा में 28 फरवरी 2026 से जेल में है, यह न्यायालय आगे और निर्देश मिलने की प्रतीक्षा किए बिना जमानत दिए जाने के प्रश्न पर

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुनने के लिए आगे बढ़ा है।

6. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दी गई दलीलों पर विचार किया है और अभिलेखों का अवलोकन किया है।
7. आवेदक ने जमानत आवेदन के समर्थन में दाखिल शपथ पत्र के पैरा संख्या 18 में तर्क दिया है कि शपथ पत्र में स्पष्ट किए गए आपराधिक इतिहास, यानी गैंगस्टर चार्ट में उल्लिखित दो मामलों के अलावा, उसका कोई अन्य आपराधिक इतिहास नहीं है।
8. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आवेदक के विरुद्ध दो मुकदमे दिखाए गए हैं जिनमें आवेदक जमानत पर है, उसका कोई अन्य आपराधिक इतिहास नहीं है, और साथ ही यह तथ्य कि आवेदक पूर्व में किसी मामले में दोषी सिद्ध नहीं हुआ है तथा वह 24 सितंबर 2025 से जेल में है, मैं आवेदक को जमानत पर रिहा करना उचित समझता हूँ।
9. जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।
10. अभियुक्त-आवेदक सोनू कुमार वर्मा उर्फ शैलेंद्र वर्मा, जो उपर्युक्त मुकदमा अपराध संख्या में शामिल है, को निजी मुचलका और इतनी ही राशि की दो विश्वसनीय जमानतें, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए, जो निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:"
  - I. आवेदक साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
  - II. आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में लिप्त नहीं होगा।
  - III. आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें धमकाएगा नहीं और विचारण न्यायालय में सहयोग करेगा।
  - IV. आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा नियत प्रत्येक तारीख पर नियमित रूप से उपस्थित होगा, जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो।
11. उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में, विचारण न्यायालय उसकी जमानत रद्द करने की कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।
12. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को उच्च न्यायालय इलाहाबाद की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड की गई और संबंधित अधिवक्ता द्वारा इस शपथ के साथ सत्यापित



कि प्रमाणित प्रतिलिपि 15 दिनों के भीतर दाखिल की जाएगी, आदेश की कंप्यूटर जनित प्रति के आधार पर रिहा किया जाएगा।

13. यह भी निर्देशित किया जाता है कि विचारण न्यायालय आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने के लिए बेल ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश भेजेगा।
14. उपर्युक्त की गई टिप्पणियाँ विशेष रूप से इस तात्कालिक जमानत आवेदन के निर्णय हेतु हैं और इन्हें मामले के गुण-दोष पर कोई राय नहीं माना जाएगा।

(माननीय न्यायमूर्ति, राजीव लोचन शुक्ला)

30 जून, 2026